

## संघ लोक सेवा आयोग

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने/शुरू करने की तारीख : 16.11.2020

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने के लिए बंद होने की तारीख : 27.11.2020

भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 के उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

1. भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 की योजना में प्रधान परीक्षा 28 फरवरी, 2020 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा की विस्तृत समय-सारणी, ई-प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध करा दी जाएगी।

2. प्रधान परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

**भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर (गुवाहाटी), हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला।**

किसी केन्द्र पर उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होने की स्थिति में समन्वित तथा सुरक्षित कार्यतन्त्र के हित में आयोग के लिए उस केन्द्र पर परीक्षा का संचालन करना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में, आयोग, उम्मीदवारों को निकटतम केन्द्र आबंटित कर सकता है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में उम्मीदवारों के किसी भी पत्राचार आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रधान परीक्षा आयोजित करने के संबंध में यथाउल्लिखित उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवारों को उनकी पसन्द के केन्द्र आबंटित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा फिर भी परिस्थितिबश आयोग अपने विवेकानुसार किसी उम्मीदवार को कोई भिन्न या आरंभ किया गया नया केन्द्र आबंटित कर सकता है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस बारे में उम्मीदवारों के किसी भी पत्राचार आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.1 भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा में प्रवेश के इच्छुक, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट ([www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in)) के माध्यम से विस्तृत आवेदन पत्र-1 (डीएएफ-1) ऑनलाइन भरते हुए और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करते हुए आवेदन करना चाहिए, जिससे आवेदक द्वारा समय रहते डीएएफ-1 भरा जा सके।

4.2 उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 के माध्यम से अपने परिचय के समर्थन में ई-प्रवेश-पत्र सहित भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र के लिए आवेदन करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत फोटो आईडी प्रूफ ले जाना अवश्य होगा।

4.3 उम्मीदवार यह नोट कर लें कि किसी भी परिस्थिति में सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के आवेदन फार्म में उनके द्वारा पहले से इंगित परीक्षा केन्द्र तथा वैकल्पिक विषय को अपने भारतीय वन सेवा परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फार्म में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.4 किसी उम्मीदवार द्वारा उसका आवेदन भर दिए जाने के उपरांत उम्मीदवारी को वापस लेने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 5. शुल्क

भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को (महिला/अ.जा./अ.ज.जा./बेंचमार्क विकलांगता युक्त व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क अदा करने से छूट प्राप्त है) शुल्क के रूप में 200/- रुपए (केवल दो सौ रुपए) का भुगतान, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा कराके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके अथवा वीजा/ मास्टर/ रूपे क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

ऐसे उम्मीदवार जो विस्तृत आवेदन पत्र-1 के भुगतान मोड के भरने के दौरान "नकद भुगतान" प्रणाली का चयन करते हैं, वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। "नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक **26.11.2020** को निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार, जो मान्य पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य-समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं, उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक **27.11.2020** को सायं **18.00**

बजे तक, ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए होंगे उन्हें फर्जी भुगतान का मामला माना जाएगा और ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-1 प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इन आवेदकों को ई-मेल के जरिए भी यह सूचित किया जाएगा कि वे आयोग को किए गए अपने भुगतान के प्रमाण की प्रति, ई-मेल में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करें। आवेदकों को यह प्रमाण, उक्त ई-मेल भेजे जाने की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदकों की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उनका आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे किसी पत्राचार आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

सभी महिला उम्मीदवारों को तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों के उम्मीदवारों को किसी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। यद्यपि, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट है, बशर्ते कि वे इन सेवाओं/ पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले इन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। आयु सीमा में छूट/ शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र-1 के साथ नियमानुसार अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/ चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति भी अपलोड करनी होगी।

**टिप्पणी-I :** आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित किसी शारीरिक जांच के बाद) यह पाया जाता है कि वह सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के संबंध में शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता/ करती है।

**टिप्पणी-II :** बिना शुल्क के प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**टिप्पणी-III :** किसी भी परिस्थिति में, आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी नहीं होगी और न ही इस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 12 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली, जिसमें परीक्षा की विस्तृत योजना भी शामिल है, को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आयोग, उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र-1 की प्रविष्टियों में परिवर्तन के संबंध में भेजे गए किसी पत्र आदि पर विचार नहीं करेगा। अतः, वे आवेदन-प्रपत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतें और इसमें सही जानकारीयां भरें। आवेदन-प्रपत्र का कोई कालम खाली न छोड़ा जाए।

7. यदि कोई उम्मीदवार:-

- (i) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र में परीक्षा देता है ; अथवा
- (ii) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में परीक्षा देता है ;

तो उस उम्मीदवार के पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

8. ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र-1 और अपलोड किए गए अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ को आयोग द्वारा ईमेल भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। अधूरा विस्तृत आवेदन पत्र-1 या जो निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया है या गलत भरा गया है या किसी भी कॉलम में गलत कोड नंबर भर दिया गया है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-1 अंतिम रूप से जमा करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड हो गए हैं। विस्तृत आवेदन पत्र-1 भरने के संबंध में किसी भी सहायता के मामले में उम्मीदवार को webcell-upsc@nic.in पर ईमेल द्वारा या दूरभाष 011-23385271 के माध्यम से आयोग से संपर्क करना चाहिए।

ई-प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर लें और इसकी सावधानीपूर्वक जांच करके यह सुनिश्चित कर लें कि ई-प्रवेश पत्र पर मुद्रित विवरण सही है। यदि ई-प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो, तो आयोग को इसकी सूचना प्रदान करते हुए सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अनुरोध करें। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन पत्र-II के माध्यम से ज़ोन (ज़ोनों) / राज्य (राज्यों) के काडर के लिए अपना वरीयता क्रम निर्दिष्ट करना होगा। विस्तृत आवेदन पत्र -II भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा, 2020 के लिखित परीक्षा के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा।

10. उम्मीदवारों द्वारा जो सूचना प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र में दी गई थी उसका मिलान प्रधान परीक्षा के आवेदन पत्र में दी जाने वाली सूचनाओं से किया जाएगा। जिन मामलों में गंभीर विसंगतियां पाई जाएंगी, उन उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है।

11. प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक वही रहेंगे, जो उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिए गए थे।

12. उम्मीदवार को विस्तृत आवेदन पत्र-I के साथ संगत प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी, जो यह दर्शाता हो कि उसने **भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली के नियम 7** में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता अर्जित कर ली है। अपलोड किया गया प्रमाणपत्र योग्यता विशेष प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली के **नियम 7** के अंतर्गत टिप्पणियों I से III की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के आवेदन-पत्र (अर्थात् विस्तृत आवेदन पत्र-I) के साथ, अपेक्षित **न्यूनतम शैक्षिक योग्यता** परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के विस्तृत आवेदन पत्र- I की नियत तिथि (अंतिम तिथि) से पूर्व अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने का ऐसा प्रमाण दिया जाना चाहिए (कृपया भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली के नियम 7 का संदर्भ लें)।

13. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको इस वचनबंध (अण्डरटेकिंग) (जैसा कि विस्तृत आवेदन-पत्र-I की घोषणा में है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है (कृपया भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली का नियम 9 देखें)।

### उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाने वाले वचनबंध का फॉर्म

#### वचनबंध (सरकारी कर्मचारियों के लिए)

मैंने अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को दिनांक ..... को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि मैंने भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन किया है।

(हस्ताक्षर)

नाम : .....

अनुक्रमांक: .....

नोट : ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको वचनबंध (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

14. परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवार को उसके द्वारा आवेदन फार्म में अपलोड की गई फोटो के समरूप अतिरिक्त फोटो परीक्षा भवन में अपने साथ लानी होगी।

15. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने का दावा करता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप मण्डल अधिकारी या निम्नलिखित किसी अन्य ऐसे अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता हो।

**15.1** कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ का दावा करता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2018-19 के आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र (पात्रता का प्रमाणपत्र) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

**नोट 1:** उम्मीदवार यह नोट करें कि उनके अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस./बेंच मार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों/पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र भारतीय सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 03.03.2020 से पहले) से पहले के होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 21 में निर्दिष्ट किया गया है।

**नोट 2:** अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**नोट 3:** उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं। अतः, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलतः संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

**नोट 4:** आयोग, सामान्यतः, उम्मीदवार द्वारा भारतीय सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

16. उम्मीदवार को आपने आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र (उसकी जन्म की तारीख दर्शाते हुए) की स्कैन की गई प्रति भी अपलोड करनी चाहिए। **(कृपया भारतीय वन सेवा परीक्षा नियमावली 2020 के नियम 6 में जन्म की तारीख के प्रमाण से संबंधित पैरा के नीचे दिया गया नोट VI देखें)**

**नोट:** आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है, जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्घरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो। ऐसे प्रमाणपत्रों को केवल भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्घरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

17. आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे उम्मीदवार, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुए हैं, उन्हें महानिदेशक पुनःस्थापना, रक्षा मंत्रालय से निम्नानुसार निर्धारित फार्म में इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि वे रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है:-

प्रमाणित किया जाता है कि रैंक सं. ----- नाम ----- यूनिट -----  
-----, रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/ अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर -----  
पदनाम -----  
दिनांक -----

\*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

(iii) कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित जिन पूर्व सैनिकों ने परीक्षा के लिए नियमावली के नियम 6 (b) (iv) या 6 (b) (v) की शर्तों के अनुसार आयु सीमा में छूट का दावा किया है, उन्हें संबद्ध प्राधिकारियों से निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में उन पर लागू होने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ----- रैंक ----- नाम -----, जिनकी जन्मतिथि ----- है, ने ----- से ----- तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में से एक शर्त को पूरा करते हैं:-

(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर कार्यमुक्त हुए हैं, न कि उन्हें कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त किया गया है।

(ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारण ----- को कार्यमुक्त हुए हैं।

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम  
मुहर

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं. ----- रैंक -----  
----- नाम ----- दिनांक ----- से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक ----- को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।

स्थान-----

दिनांक -----

कमान अधिकारी के हस्ताक्षर  
कार्यालय की मुहर

उपर्युक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा:-

उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध:

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और यह कि मैं समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभ पाने का हकदार हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान -----

दिनांक -----

(ग) उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में लागू प्रमाण-पत्र का फार्म, जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं. ----- रैंक ----- नाम -----, जिनकी जन्मतिथि ----- है, -----से थल सेना/नौसेना/ वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा ----- को पूरी कर ली है और अब वे ----- तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम  
मोहर

स्थान -----

दिनांक -----

प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना--मिलिटरी सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना -- कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना -- कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में:-

थल सेना --- विभिन्न रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालय द्वारा।

नौसेना --- सी.ए.बी.एस., मुंबई।

वायु सेना --- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली।

18. बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 के नियम 19 में निर्दिष्ट शारीरिक अपेक्षाओं/योग्यताओं में से एक अथवा अधिक को पूर्ण करना होगा और केंद्र/राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा फॉर्म V/फॉर्म VI/फॉर्म VIII/अन्य में जारी अशक्तता प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। इस प्रकार का अशक्तता प्रमाण पत्र भारतीय सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 03.03. 2020 से पहले) से पहले जारी हुए होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 21 में निर्दिष्ट किया गया है।

19(क) कम दृष्टि की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटा प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी। अन्य श्रेणियों के बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले उम्मीदवारों के मामले में यह सुविधा दिनांक 12 फरवरी, 2020 के भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 नियमावली में परिशिष्ट-V के प्रपत्र के अनुसार सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीच्युशन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इस आशय के प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जाएगी कि संबंधित उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक सीमाएं पेश आ रही है। इस प्रकार इन उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में प्रतिपूरक समय के रूप में 60 मिनट अधिक प्रदान किए जाएंगे जो अन्य उम्मीदवारों को अनुमत समय 3 घंटे प्रति पेपर की अवधि के अतिरिक्त होगा।

19(ख) कम दृष्टि की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले उम्मीदवारों को यदि वे चाहे तो उन्हें स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 2016 के भाग 2 (आर) के अंतर्गत अन्य श्रेणियों के बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले उम्मीदवारों के मामले में स्क्राइब की सुविधा ऐसे उम्मीदवार को दी जाएगी जो इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें लिखने में शारीरिक सीमाएं पेश आ रही हैं तथा उसे उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब दिया जाना जरूरी है तथा यह प्रमाणपत्र दिनांक 12 फरवरी, 2020 के भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 के नियमावली के

परिशिष्ट-V के प्रपत्र के अनुसार सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीच्यूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।

उम्मीदवारों के पास विकल्प है कि वे स्वयं अपना स्क्राइब लाएं या स्क्राइब के लिए आयोग से अनुरोध कर सकते हैं। स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग के द्वारा प्रदान किए जाने वाला और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब स्वयं लाते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे स्क्राइब का विवरण मांगा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में समुचित प्रावधान किए गए हैं।

आयोग के स्क्राइब तथा अपने स्वयं के स्क्राइब की योग्यता, परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रीकुलेट या इससे अधिक होनी चाहिए।

20. आवश्यक/ निर्धारित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड किए बिना ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र-I को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

21. उम्मीदवार कृपया यह नोट करें कि आवेदन पत्र भरने और कोड नंबर का उल्लेख करने हेतु वे केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। केवल इन्हीं अंकों के जरिए भरे कोड नंबरों को स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां सही और सत्य हों। यदि कोई प्रविष्टि अपठनीय अथवा भ्रामक पाई जाती है, तो उसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

22. उम्मीदवार की उम्मीदवारी के संबंध में झूठी सूचना या गंभीर खामियों जैसे वैध कारणों से प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए जारी ई-प्रवेश पत्र को आयोग के विवेक पर रद्द किया जा सकता है।

23. उम्मीदवार यह नोट करें कि उनका नाम, अनुक्रमांक, ई-मेल तथा मोबाइल नंबर और कॉलम 1(क), 1 (ख), 3, 8 (क), 8 (घ), 8 (ङ), 8 (च), 9.1 (क), 9.1 (ख), 9.1 (ग), 10,12 (क), 12 (ख) 13 (क) और 13 (ख) में प्रविष्टियां पहले से ही दर्ज है और ये आंकड़े सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2020 के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरने के समय उम्मीदवारों द्वारा दिए गए आंकड़ों से लिए गए हैं और विस्तृत आवेदन पत्र में इनमें से किसी भी कॉलम में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं है।

24. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि प्रश्न-पत्र और उत्तर-पुस्तिका अलग-अलग प्रदान किए जाने के स्थान पर उन्हें समेकित प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग/उप भाग के नीचे उसका उत्तर लिखने का स्थान दिया गया होगा। उम्मीदवारों को यह प्रयास करना होगा कि वे अपने उत्तर, संबंधित प्रश्न के प्रत्येक भाग/उप भाग के नीचे दिए गए स्थान के भीतर ही लिखें। इस स्थान के बाहर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका में निहित अनुदेशों में से किसी का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप अंकों में कटौती की जा सकती है।

25. उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र के संबंध में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार में परीक्षा का नाम, अपना अनुक्रमांक, नाम तथा अपनी जन्म की तारीख अवश्य लिखें।

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उनके बदले हुए पते पर उन्हें मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा प्रयास करता है, परंतु इस विषय में जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

26. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा में उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है तथा उनके द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन है। यदि प्रधान (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते, तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

27. उम्मीदवार द्वारा आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत आवेदन पत्र भरते समय स्कैन करके अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार हैं :

(1) आयु सीमा में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि (जहां लागू हो) [डीएएफ-1 का कॉलम 1 (ग)]

- (2) अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस (जहां लागू हो) के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि, (अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए वचनबंध) [डीएएफ-1 का कॉलम 8 (क)]
- (3) बेंचमार्क अशक्तता युक्त व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। [डीएएफ-1 का कॉलम 9]
- (4) परीक्षा के लिए नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत नोट VI के नीचे पैरा में निर्धारित अनुसार जन्म की तारीख के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतिलिपि। [डीएएफ-1 का कॉलम 1 (क)]
- (5) शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो एआईसी / यूजीसी से मान्यता पत्र / समकक्ष प्रमाणपत्र की एक प्रति सहित) [डीएएफ-1 का कॉलम 14]
- (6) सरकारी कर्मचारियों के लिए अभ्यर्थियों को निर्देशों के साथ निर्धारित प्रारूप "ए" में वचनबंध। [डीएएफ-1 के कॉलम 15 (i) और उम्मीदवार को निर्देशों के पैरा 13 के संदर्भ में]

नोट: प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के उपरांत व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को ऊपर उल्लेखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। उस समय आवश्यक प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफल रहने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

## अनुबंध

### I. आवेदन का कालम 5 – नागरिकता संबंधी स्थिति

कोड	विवरण
1	- भारत का नागरिक
2	- नेपाल की प्रजा
3	- भूटान की प्रजा
4	- भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी।
5	- भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ हो। (कृपया भारतीय वन सेवा परीक्षा नियमावली, 2020 का नियम 5 देखें)

### II. आवेदन प्रपत्र का कालम 10 - परीक्षा केंद्र

क्र. सं.	केंद्र
1.	भोपाल
2.	चेन्नई
3.	दिल्ली
4.	दिसपुर (गुवाहटी)
5.	हैदराबाद
6.	कोलकाता
7.	लखनऊ
8.	नागपुर
9.	पोर्ट ब्लेयर
10.	शिमला



### III- आवेदन प्रपत्र का कालम 12 (क) तथा (ख) - वैकल्पिक विषय

क्र.सं.	वैकल्पिक विषयों की सूची
1.	कृषि
2.	कृषि इंजीनियरी
3.	पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान
4.	वनस्पति विज्ञान
5.	रसायन विज्ञान
6.	रसायन इंजीनियरी
7.	सिविल इंजीनियरी
8.	वानिकी
9.	भू-विज्ञान
10.	गणित
11.	यांत्रिक इंजीनियरी
12.	भौतिकी
13.	सांख्यिकी
14.	प्राणि- विज्ञान

**टिप्पणी (1) :-** उपर्युक्त सूची में से केवल दो वैकल्पिक विषयों का चयन करना है; एक प्रश्न पत्र III तथा IV के लिए तथा दूसरा प्रश्न पत्र V तथा VI के लिए (जैसा कि प्रधान परीक्षा की योजना में उल्लिखित है)।

**टिप्पणी (2) :-** उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं होगी:-

(क) कृषि और कृषि इंजीनियरी

(ख) कृषि विज्ञान और पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान

(ग) कृषि एवं वानिकी

(घ) रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरी

(ङ) गणित और सांख्यिकी

(च) इंजीनियरी विषयों, अर्थात् कृषि इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी में से एक से अधिक विषय नहीं।

**टिप्पणी (3) :-** सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने हैं। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।

(क) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* ----- सुपुत्र/सुपुत्री\* श्री -----

जो गांव/ कस्बा\* ----- जिला/मंडल\* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* ----- के/की\*

निवासी हैं ----- अनुसूचित जाति/जनजाति\* के/की\* हैं, जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित@

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @

%2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* ----- ग्राम/कस्बा\* -----  
---- जिला/मंडल\* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* ----- जो ----- जाति/ जनजाति\* से  
संबद्ध हैं जिसे ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* में अनुसूचित जाति/जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है के  
पिता/माता\* श्री/श्रीमती\* ----- को ----- द्वारा दिनांक -----  
----- को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी\* ----- और/या\* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/कस्बा\* -----  
- जिला/मंडल\* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* ----- में रहते/रहती हैं।

हस्ताक्षर -----

\*\*पदनाम -----

(कार्यालय की मोहर)

स्थान-----

राज्य/संघ शासित क्षेत्र\*-----

तारीख -----

\* जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें ।

@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें ।

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें ।

**नोट:-**यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर ।

### (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो) ।

(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।

(iv) उस इलाके का सब-डिविजनल आफिसर, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो ।

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

**(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।**

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी\* ----- सुपुत्र/सुपुत्री\* श्री/श्रीमती -----

----- जिला/मंडल\* ----- के गांव/कस्बा\* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* -----

----- के/की\* निवासी हैं ----- समुदाय के/की हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं.12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 का संकल्प सं.12011/9/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं.12011/7/95-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं.12011/96/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं.12011/44/96-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/13/97-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/99/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं.12011/68/98-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं.12011/88/98-बी.सी.सी. ।





श्री/श्रीमती/कुमारी\* ----- और/या उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल\* -----  
के गांव/कस्बा\* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है  
कि वह\* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं.36012/22/93-स्था0  
(एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 और दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक  
27.05.2013 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/  
वर्गों (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर -----

\*\*पदनाम -----

(कार्यालय की मोहर)

स्थान-----

तारीख -----

**अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबंध का प्रारूप।**

**वचनबंध**

मैं ----- सुपुत्र/सुपुत्री श्री ----- निवासी  
ग्राम/कस्बा/शहर ----- जिला ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*-----  
एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ----- समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग  
भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं.36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार  
सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषित  
करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 8.9.1993 के ऊपर संदर्भित का.ज्ञा. और दिनांक  
09.3.2004 के का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण), दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-  
स्था0 (आरक्षण) तथा दिनांक 27.5.2013 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए  
गए व्यक्तियों/वर्गों \*(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर -----

उम्मीदवार का नाम -----

अनुक्रमांक -----

**नोट :** अ.पि.व. उम्मीदवारों के बारे में का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 27.5.2013 में दिया गया  
क्रीमी लेयर से संबंधित खंड।

\* उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।

**नोट:** यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

\*\* अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के  
प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

**\*\*जो लागू न हों उसे काट दें।**

**टिप्पणी 1 :** अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-  
पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-  
समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की  
भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**टिप्पणी 2 :** उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के  
आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं। अतः, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य  
के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रजनन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत  
करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलतः संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी  
श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

**टिप्पणी 3 :** आयोग, सामान्यतः, उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

**नोट:** अ.पि.व. उम्मीदवारों के संबंध में क्रीमी लेयर से संबंधित खंड दिनांक 27/05/2013 के ओएम सं. 36033/1/2013-इएसटीटी. (आरईएस.) के अनुसार होना चाहिए (यह नोट वचनबंध या अ.पि.व. प्रमाण पत्र का हिस्सा नहीं है)।

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबंध का प्रारूप।  
वचनबंध**

मैं ----- सुपुत्र/सुपुत्री श्री ----- निवासी  
ग्राम/कस्बा/शहर ----- जिला ----- राज्य ----- एतद्वारा यह  
घोषणा करता/करती हूं कि मैं ----- कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 19.01.2019  
तथा 31.01.2019 के का.ज्ञा. सं.36039/1/2019- स्था.(आरक्षण) में निहित आदेशों के अनुसार भारत सरकार के अंतर्गत  
सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध हूं। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैंने उक्त  
कार्यालय आदेशों में उल्लिखित अनुदेशों को पढ़ा एवं समझा है तथा इसके फलस्वरूप मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं आर्थिक  
रूप से कमजोर वर्ग के लिए पात्रता मानदंड के अंतर्गत आता हूं।

**प्रपत्र – IV**

**अशक्त व्यक्तियों द्वारा अशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र  
(नियम 17 (1) देखें)**

1. नाम .....  
(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
2. पिता का नाम ..... माता का नाम .....
3. जन्म तिथि \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(तिथि) (माह) (वर्ष)
4. आवेदन के समय आयु : \_\_\_\_\_ वर्ष
5. लिंग : पुरुष/महिला/ ट्रांसजेंडर
6. पता :  
(क) स्थायी पता (ख) वर्तमान पता(अर्थात् पत्राचार के लिए)

(ग) वर्तमान पते पर निवास करने की अवधि \_\_\_\_\_

7. शैक्षणिक योग्यता (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

- (i) स्नातकोत्तर
- (ii) स्नातक
- (iii) डिप्लोमा
- (iv) हायर सेकेंडरी
- (v) हाई स्कूल
- (vi) मिडिल
- (vii) प्राइमरी
- (viii) अशिक्षित

8. व्यवसाय .....

9. पहचान के चिन्ह (i) ..... (ii) .....

10. अशक्तता की प्रकृति :

11. वह अवधि जब से अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष..... से

12. (i) क्या आपने पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है ..... हां/नहीं  
(ii) यदि हां, तो विवरण दें :  
(क) किस प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है.....  
(ख) आवेदन का परिणाम .....
13. क्या आपको पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया मूल प्रतिलिपि संलग्न करें।

**घोषणा :** मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा बौद्धिक अशक्तता, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

दिनांक :

स्थान :

संलग्नक :

- निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)  
(क) राशन कार्ड,  
(ख) मतदाता पहचान पत्र,  
(ग) ड्राइविंग लाइसेंस,  
(घ) बैंक पासबुक,  
(ङ.) पैन कार्ड,  
(च) पासपोर्ट,  
(छ) टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो,  
(ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी सरकारी स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,  
(झ) अशक्त, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ

-----  
(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

दिनांक :

स्थान :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

-----



## प्रपत्र - V

अशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और दृष्टिहीनता के मामले में)

[नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का  
वर्तमान पासपोर्ट  
आकार का  
अनुप्रमाणित फोटो  
(केवल चेहरा दर्शाया  
हो)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/  
पत्नी/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ (दिनांक/माह/वर्ष) आयु \_\_\_\_ वर्ष,  
पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ पंजीकरण सं. \_\_\_\_\_ स्थायी निवासी मकान नं. \_\_\_\_\_ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट  
\_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ और जिनका फोटोग्राफ  
ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह

(क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:

- चलने में असमर्थ
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में .....निदान है।

(ग) दिशा-निर्देशों अनुसार (.....दिशानिर्देश जारी करने की तारीख और संख्या निर्दिष्ट किए जाएं)

उन्हें .....% (अंकों में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थायी रूप  
से चलने में असमर्थता/बौनापन/दृष्टिहीनता हैं।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं सील)

उस व्यक्ति के  
हस्ताक्षर/अंगूठे का  
निशान जिसके नाम से  
अशक्तता प्रमाण पत्र  
जारी किया गया है।

## प्रपत्र -VI

अशक्तता प्रमाण पत्र  
(एकाधिक अशक्तता के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का  
पासपोर्ट आकार  
का अनुप्रमाणित  
वर्तमान फोटो  
(केवल चेहरा  
दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/  
पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि \_\_\_\_ \_\_\_\_ (दिनांक/माह/वर्ष) आयु \_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला  
\_\_\_\_\_ पंजीकरण सं. \_\_\_\_\_ स्थायी निवासी मकान नं. \_\_\_\_\_ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट \_\_\_\_\_  
डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है,  
की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि

(क) वह एकाधिक अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार  
(.....दिशा-निर्देशों को जारी करने की की तारीख और सख्या का उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और  
नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	#		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
13.	सीखने संबंधी विशिष्ट			

	अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार (.....दिशा-निर्देशों को जारी करने की तारीख और संख्या का उल्लेख किया जाए), उनका समग्र शारीरिक दौर्बल्य निम्नानुसार है:-

आंकड़ों में : \_\_\_\_\_ प्रतिशत

शब्दों में : \_\_\_\_\_ प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अशक्तता का पुनः आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षों .....माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र ..... ..  
(दिनांक/माह/वर्ष) तक के लिए वैध रहेगा।

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

# उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

**प्रपत्र -VII**

**अशक्तता प्रमाणपत्र**

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 18(1) देखें)

अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ (दिनांक/माह/वर्ष) आयु \_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ पंजीकरण सं \_\_\_\_\_ स्थायी निवासी मकान नं. \_\_\_\_\_ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह \_\_\_\_\_ अशक्तता से ग्रस्त है। उनकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/अशक्तता की सीमा की प्रतिशतता को दिशा-निर्देशों के अनुसार ( ..... दिशा-निर्देशों को जारी करने की तारीख और संख्या का उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दुर्बलता/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीड़ित			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
11.	सीखने संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			

12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर			
13.	मानसिक व्याधि			
14.	पुराना तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16.	पार्किंसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो अशक्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अशक्तता का पुनः आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षों .....माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र ..... ..  
(दिनांक/माह/वर्ष) तक के लिए वैध रहेगा।

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

# उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
(नाम और मोहर)

उस व्यक्ति के  
हस्ताक्षर/अंगूठे का  
निशान जिसके नाम से  
प्रमाण पत्र जारी किया  
गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

प्रपत्र –VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना]

(कृपया नियम 18(4) देखें)

सं. \_\_\_\_\_

दिनांक :

सेवा में,

(अशक्तता प्रमाण पत्र के लिए आवेदक का नाम और पता)

विषय: अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति।

महोदय/महोदया,

कृपया दिनांक \_\_\_\_\_ के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता के लिए अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:

2. उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में दिनांक \_\_\_\_\_ को अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका चिकित्सा परीक्षण किया गया और मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपको अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं हो पाया है:

(i)

(ii)

(iii)

3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन \_\_\_\_\_ को प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय,

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
(नाम और मोहर)

**वचनबंध "क" (सरकारी कर्मचारियों के लिए)**

मैंने अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को दिनांक ..... को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि मैंने भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन किया है।

(हस्ताक्षर)

नाम : .....

अनुक्रमांक: .....

नोट : ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको वचनबंध (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

----- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र  
प्रमाणपत्र सं

दिनांक

.....

वर्ष 2019-20 के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री -----  
स्थायी पता ----- ग्राम/स्ट्रीट----- डाकघर ----- जिला -----  
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ----- पिन कोड ----- जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, का फोटोग्राफ नीचे  
अनुप्रमाणित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2018-19 तब से उनका/ उनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये 08 लाख  
(रूपये आठ लाख केवल) से कम है, उनका/उनकी परिवार के पास नीचे दी गई में से कोई भी संपत्ति अपनी नहीं है।

- I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि
  - II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक की आवासीय प्लॉट
  - III. अधिसूचित निगमों में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
  - IV. अधिसूचित निगमों के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
2. श्री/श्रीमती/कुमारी -----जाति के हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल का  
पासपोर्ट आकार का  
अनुप्रमाणित  
फोटोग्राफ

कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर  
नाम-----  
पदनाम-----

\* नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।

\*\* नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है।

\*\*\* नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होलिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।

**UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**

**Date of STARTING filling online DAF : 16.11.2020**

**Date of CLOSURE for filling online DAF : 27.11.2020**

**INSTRUCTIONS TO CANDIDATES OF INDIAN FOREST SERVICE (MAIN) EXAMINATION, 2020**

1. The Main Examination in the scheme of the Indian Forest Service Examination, 2020 will be held from **28<sup>th</sup> February, 2021**. The detailed Time Table of Examination will be made available along with the e-Admit Card.

2. The Main Examination will be held at following Centres:—

**Bhopal, Chennai, Delhi, Dispur (Guwahati), Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Nagpur, Port Blair and Shimla**

In the interest of coordinated and secured logistics, the Commission may not operate Centres where the number of candidates is very low. In such cases, the Commission may allot nearest Centres to the candidates. **THE DECISION OF THE COMMISSION IN THIS REGARD WILL BE FINAL AND NO FURTHER CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED FROM CANDIDATES.**

3. The Centres and the dates of holding the Main Examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidate to the Centre of his choice, the Commission may, at their discretion allot a different Centre or a new Centre that may be opened when circumstances so warrant. The decision of the Commission in this regard will be final and no further correspondence will be entertained.

4.1 The qualified candidate seeking admission to the Indian Forest Service (Main) Examination must apply online through the Commission's website ([www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in)) by filling the Detailed Application Form-1 (DAF-1) and uploading the scanned copies of the required document within the prescribed time limit so that DAF-1 is submitted by the applicant on time.

4.2 The candidates must carry their Photo ID Proof submitted by them while applying for Indian Forest Service Examination, 2020 through Civil Services (Preliminary) Examination, 2020 to the Examination Venues for Indian Forest Service (Main) Examination alongwith the e-Admit Card in support of their identity.

4.3 THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THEY BE ALLOWED TO CHANGE IN CENTRE, OPTIONAL SUBJECT THEY HAVE ALREADY INDICATED IN THEIR FILLED ONLINE APPLICATION FORM FOR INDIAN FOREST SERVICE EXAMINATION THROUGH CIVIL SERVICES (P) APPLICATION FORM.

4.4 NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE / SHE HAS SUBMITTED HIS/HER APPLICATION WILL BE ENTERTAINED.

**5. FEE:**

Candidates applying (Except Female/SC/ST/PwBD candidates who are exempted from payment of fee) for Indian Forest Service (Main) Examination are required to pay a fee of Rs.200/- (Rupees Two Hundred only) either by depositing the money in any Branch of SBI by cash, or by using Net Banking facility of SBI or by using Visa/Master/RuPay Credit/Debit card.

Applicants who opt for "Pay by Cash" mode should print the system generated Pay-in-slip during filling of payment mode of Detailed Application Form-1 and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. "Pay by Cash" mode will be deactivated on 26.11.2020 i.e. one day before the closing date; however applicants who have generated their Pay-in-Slip before it is deactivated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reasons, whatsoever, even if holding valid pay-in-slip will have no other offline option but to opt for available Online Debit/Credit Card or Internet Banking payment mode on the closing date i.e. till 1800 hours of 27.11.2020.

For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank, they will be treated as fictitious payment cases and a list of all such applicants shall be made available on the Commission's website within two weeks after the last day of submission of Online Detailed Application Form-1. These applicants shall also be intimated through e-mail to submit copy of proof of their payment to the Commission at the address mentioned in the e-mail. The applicant shall be required to submit the proof within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. In case, no response is received from the applicants, THEIR APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED AND NO FURTHER CORRESPONDENCE SHALL BE ENTERTAINED IN THIS REGARD.

All female candidates and candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Persons with Benchmark Disability categories are not required to pay any fee. No fee exemption is, however, available to OBC and EWS candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

Persons with Benchmark Disability are exempted from the payment of fee, provided they



are otherwise eligible for appointment to the Services/Posts to be filled on the results of this examination on the basis of the standards of medical fitness for these Services/Posts (including any concessions specifically extended to the Persons with Benchmark Disability). A candidate belonging to Persons with Benchmark Disability category claiming age relaxation/fee concession will be required to **upload** along with his/her Detailed Application Form-I scanned Certificate of Disability from a Government Hospital/Medical Board in support of his/her claim of belonging to Persons with Benchmark Disability Category as per norms.

**NOTE I: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION/FEE EXEMPTION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE INDIAN FOREST SERVICE NOTE II: APPLICATIONS WITHOUT THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED) SHALL BE SUMMARILY REJECTED.**

**NOTE III: FEE ONCE PAID SHALL NOT BE REFUNDED UNDER ANY CIRCUMSTANCES NOR CAN THE FEE BE HELD IN RESERVE FOR ANY OTHER EXAMINATION OR SELECTION.**

6. Candidates are advised to read carefully the Rules of Indian Forest Service Examination , **2020** which include the detailed scheme of the examination, as published in Part-I- Section-I of the Govt. of India Gazette (Extraordinary) dated **12<sup>th</sup> February, 2020**. **THEY SHOULD NOTE THAT NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED BY THE COMMISSION FROM CANDIDATES TO CHANGE ANY OF THE ENTRIES MADE IN DAF-I. THEY SHOULD, THEREFORE, TAKE SPECIAL CARE TO FILL UP THE APPLICATION FORM CORRECTLY. NO COLUMN OF THE APPLICATION FORM SHOULD BE LEFT BLANK.**

7. If any candidate appears,—

- (i) at a centre other than the one indicated by the Commission in his/her e-Admit Card; or
  - (ii) in an optional subject other than the one indicated by the Commission in his /her e-Admit Card;
- PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND THE CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO BE CANCELLED.**

8. **The online submission of the DAF-I alongwith the uploaded requisite documents/ certificates will be acknowledged electronically by sending email by the Commission. If the DFA-I be incomplete or has not been submitted within prescribed time limit or is incorrectly filled in or gives wrong code numbers in any of the columns is liable to be rejected. The candidates must ensure that they upload all the requisite documents before finally submitting the DFA-I online. The candidate should contact the Commission, through email webcell-upsc@nic.in or 011-23385271 in case of any assistance regarding filling up the Detailed Application Form-I.**

The e-admit cards will be issued electronically on the Commission's website. The candidates should download the same and check it carefully to ensure that the particulars on the e-Admit Card are correct. In case, there is any mistake in the e-Admit Card, it should be brought to the notice of the Commission with a request to issue the correct e-Admit Card. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of e-Admit Card issued in respect of another candidate. **No candidate will be allowed to take the examination without the e-admit card.**

9 All the candidates, who qualify for Personality Test/Interview on the basis of Result of Indian Forest Service (Main) Examination, 2020, will be required to submit their Order of Preferences for Zone(s)/State(s) Cadre through Detailed Application Form-II. This DAF-II will be made available to the qualified candidates of the Written Examination of Indian Forest Service (Main) Examination, 2020.

10. The information earlier given by candidates in the application form for the Preliminary Examination will be cross-checked with the information given by them in the application form for the Main Examination. If there are any serious discrepancies, candidates are liable to be refused admission to the Main Examination in such cases.

11. The Roll No. of the candidate for the Main Examination will be the same as the Roll Number given to him/her for the Preliminary Examination.

12. A candidate must **upload** along with DAF-I a scanned copy of the relevant certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in **Rule 7 of Indian Forest Service Rules, 2020**. The certificate uploaded must be one issued by the Competent Authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification. Attention is invited to Notes I to III under **Rule7 of the Rules** for the Indian Forest Service Examination, **2020**. All candidates who are declared qualified by the Commission for taking the Indian Forest Service (Main) Examination should upload the proof of passing the requisite **minimum educational qualification** along with their application (i.e. Detailed Application Form-I) for the Main

Examination, failing which such candidates will not be admitted to the Main Examination and their candidature will be cancelled. Such proof of passing the requisite examination should be dated earlier than the due date (closing date) of Detailed Application Form-I of the Indian Forest Service (Main) Examination. (Please refer to Rule 7 of the Indian Forest Service Examination Rules, 2020)

13. Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to **upload** an undertaking (as in the **Declaration in the Detailed Application Form-I**) that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled. **(Please refer Rule 9 of Indian Forest Service Examination Rules, 2020)**

**The form of the Undertaking to be uploaded by the candidate:**

<p>UNDERTAKING (for Government Employees)</p> <p>I have intimated my Head of Office/Department in writing on _____ that I have applied for the Indian Forest Service Examination, 2020.</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> <p style="text-align: right;">Name: _____</p> <p style="text-align: right;">Roll No. _____</p> <p>NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.</p>
---

14. A candidate appearing in the examination should also bring with him/her to the examination hall extra copies of the photograph similar to the one uploaded in the application form.

15. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or the Other Backward Classes (OBCs) should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other Officer as indicated below, of the district in which his/ her parents (or surviving parent) ordinarily reside, who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are deceased, the officer signing the certificate should be of the district in which candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

15.1 A candidate who claims reservation benefit under Economically Weaker Section (EWS) should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the Income and Asset Certificate for Financial Year (FY) 2018-19 (Certificate of Eligibility).

**Note 1:** Candidates should note that their SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for Indian Forest Service Examination, 2020 through Civil Services (Preliminary) Examination, 2020 [i.e. prior to 03.03.2020] as prescribed in the Rule 21 of the rules for the examination.

**Note 2 :** Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

**Note 3 :** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

**Note 4 :** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Indian Forest Service Examination through Civil Services (Preliminary) Examination will ordinarily be allowed by the Commission.

16. A candidate must upload with his/her application a scanned copy of certificate of

age(indicating his date of birth) **(Please refer Para regarding proof of Date of Birth below Note VI under Rule 6 of Indian Forest Service Examination Rules, 2020).**

**Note:** The date of birth, accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate. These certificates are required to be submitted only at the time of applying for the Indian Forest Service (Main) Examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/ Higher Secondary Examination Certificate in this part of the Instruction include the alternative certificates mentioned above.

17. A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should **upload/** produce certified copy of the certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to certify that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

**THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATE:—**

Certified that rank No. \_\_\_\_\_ Shri \_\_\_\_\_ of Unit was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a Foreign Country/in a disturbed area\* and was released as a result of such disability.

Signature.....  
Designation.....  
Date.....

\*Strikeout whichever is not applicable.

(iii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession in terms of Rule 6(b)(iv) or 6(b)(v) of the Rules for the Examination should produce an attested/ certified copy of the certificate as applicable to them, in the form prescribed below, from the authority concerned.

**(A) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR RELEASED/RETIRED PERSONNEL.**

It is certified that No. \_\_\_\_\_ Rank \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ whose date of birth is \_\_\_\_\_ has rendered service from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ in Army/Navy/Air Force and he fulfils ONE of the following conditions:

(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on \_\_\_\_\_

Name and Designation of the  
Competent Authority seal

**(B) FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL**

(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year).

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) \_\_\_\_\_ (Rank) Name \_\_\_\_\_ is serving in the Army/Navy/Air Force from \_\_\_\_\_ and is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the date \_\_\_\_\_

Place: Signature of Commanding Officer

Date: Office Seal

Candidates furnishing certificate (B) as above will have to give the following undertaking:—

**UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE**

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-servicemen in terms of the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Place:

Date:

Signature of Candidate

**(C) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR SERVING ECOs/SSCOs WHO HAVE ALREADY COMPLETED THEIR INITIAL ASSIGNMENT AND ARE ON EXTENDED ASSIGNMENT.**

It is certified that No. \_\_\_\_\_ Rank \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ whose date of birth is \_\_\_\_\_ is serving in the Army/Navy/Air Force

from \_\_\_\_\_

2. He has already completed his initial assignment of five years on \_\_and is on extended assignment till \_\_\_\_\_

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Station:

Name and Designation of the  
Competent Authority

SEAL

Date:

Authorities who are competent to issue certificates are as follows:

(a) In the case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.

Army—Military Secretary's Branch, Army Hqrs., New Delhi.

Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.

Air Force —Directorate of Personnel (Officers), Air Hqrs., New Delhi.

(b) In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.

Army— By various Regimental Record Offices.

Navy—CABS, Bombay.

Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi.

18. A candidate belonging to Persons with Benchmark Disability category shall be required to meet one or more of the physical requirements/abilities, as laid down in Rule 19 of the Rules for the Indian Forest Service Examination, **2020** and **upload** scanned Certificate of Disability in Form V / Form VI/ Form VII/others issued by notified Medical Authority of the Central/State Government. Such Disability Certificate should be of a date prior to the closing date for submission of online application form for Indian Forest Service Examination through Civil Services (Preliminary) Examination 2020 (i.e. prior to 03.03.2020) as prescribed in Rule 21 of the Rules of the examination.

19(a) The Persons with Benchmark Disabilities in the category of low-vision will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, this facility will be provided on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix-V of the Rules of IFoSE, 2020 dated 12<sup>th</sup> February, 2020. Thus, these candidates will be allowed compensatory time of 60 minutes for each paper which will be over and above the duration of 3 hours per paper applicable to all other candidates.

19(b) The Persons with Benchmark Disabilities in the categories of low vision, will be provided the facility of scribe, if desired by the person. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2(r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at **Appendix-V** of the Rules of IFoSE, 2020 dated 12<sup>th</sup> February, 2020.

The candidates have discretion of opting for his/her own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online. Suitable provisions in Online Application have been made.

The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

20. Detailed Application Form-I submitted online without the uploaded scanned copies of the required/prescribed documents are liable to be summarily rejected.

21. Candidates must note that they use only international form of Indian numerals in the filling of the application form and writing the Code Numbers e.g.1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Only the Code Numbers as thus filled in will be taken into account. They should take special care to see that the entries made in the application form are correct and true. In case there are any misleading entries, the candidates will responsible for the consequences thereof.

22. E-Admit Card issued for admission to the Main Examination are liable to be cancelled, at the discretion of the Commission for valid reasons such as misrepresentation or serious deficiencies in the candidature of the candidate.

23 Candidates should note that name, roll no., email and mobile number of the candidate and data of Col: 1(a), 1(b), 3, 8(a), 8(d), 8(e), 8(f), 9.1(a), 9.1(b), 9.1(c), 10, 12(a), 12(b), 13(a), and 13(b) are pre-populated and have been taken from the data filled up by the candidates at the time of filling up of on-line application form for Indian Forest Service Examination through Civil Services (Preliminary)

Examination, **2020** and no change is permitted in any of these columns in the Detailed Application Form.

24. Candidates should note that instead of separate Question Paper and answer book, a consolidated Question Paper-cum-Answer book, having space below each part/sub part of a question shall be provided to them for writing the answers. Candidates shall be required to attempt answer to the part/sub-part of a question strictly within the pre-defined space. Any attempt outside the pre-defined space shall not be evaluated.” Marks may be deducted as PENALTY for violating any of the instructions contained in the QCAB.

25. In all communication with the Commission regarding his/her application, the candidate should mention the name of the Examination, his/her Roll Number, Name and his/her Date of birth.

A candidate must see that communication sent to him at the address stated in his/her application is redirected, if necessary. Any change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission makes every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

26. The Candidates should note that their candidature at all the stages of the Indian Forest Service (Main) Examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the Main (Written) examination and Interview Test, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

27. Documents to be scanned and uploaded while submitting the Detailed Application Form on the website of the Commission by the candidate are as follows:

- (1) Scanned Copy of certificate in support of claim for age relaxation (where applicable) [Col. 1(c) of DAF-1]
- (2) Scanned Copy of Certificate in support of claim to belong to SC / ST / OBC (Non Creamy Layer)/EWS, (UNDERTAKING FOR OBC CANDIDATES) [Col. 8(a) of DAF-I]
- (3) Scanned Copy of certificate in support of claim to being PwBD. [Col. 9 of DAF-1]
- (4) Scanned Copy of proof of date of birth as prescribed in Note VI under Rule 6 of the rules for the exam. [Col. 1(a) of DAF-1]
- (5) Scanned Copy of the certificate of educational qualifications (including a copy of recognition letter / equivalence certificate from AIC/UGC, if applicable) [Col. 14 of DAF-1]
- (6) Undertaking “A” for Government employees in the prescribed format annexed with Instructions to Candidates. [Ref. Col. 15(i) of DAF-1 and Para 13 of the Instructions to the candidate]

**NOTE: CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY TEST ON THE RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE MAIN EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE. FAILURE TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL ENTAIL CANCELLATION OF CANDIDATURE.**

## ANNEXURE

### I Column 5 of the Application Form — CITIZENSHIP STATUS

Code Description

- 1 -a citizen of India.
- 2 -a subject of Nepal.
- 3 -a subject of Bhutan.
- 4 -a Tibetan refugee who came over to India before the 1<sup>st</sup> January,1962, with the intention of permanently settling in India.
- 5 -a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. **(Please refer Rule 5 of Indian Forest Service Examination Rules, 2020)**

### II - Column 10 of the Application Form – CENTRES OF EXAMINATION

Sl. No.	Centre
1.	Bhopal
2.	Chennai
3.	Delhi
4.	Dispur (Guwahati)
5.	Hyderabad
6.	Kolkata
7.	Lucknow
8.	Nagpur
9.	Port Blair
10.	Shimla

### III - Columns 12 (a) and (b) of the Application Form— Optional Subjects

Sl. No.	List of optional subjects
1.	Agriculture
2.	Agricultural Engineering
3.	Animal Husbandry & Veterinary Science
4.	Botany
5.	Chemistry
6.	Chemical Engineering
7.	Civil Engineering
8.	Forestry
9.	Geology
10.	Mathematics
11.	Mechanical Engineering
12.	Physics
13.	Statistics
14.	Zoology

**Note (1) :** Only two optional subjects are to be selected from the above list one for Papers III and IV and the second for Papers V and VI (as given in the Plan of Main Examination).

**Note (2) :** Candidates will not be allowed to offer the following combinations of subjects :

- Agriculture and Agricultural Engineering;
- Agriculture and Animal Husbandry and Veterinary Science;
- Agriculture and Forestry
- Chemistry and Chemical Engineering;
- Mathematics and Statistics;
- Of the Engineering subjects, viz. Agricultural Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering and Mechanical Engineering, not more than one subject;

**Note (3) :** All the Question Papers must be answered in English. Question Papers will be set in English only.

**(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\* .....  
son/daughter\* of Shri ..... of village/town\*.....  
in District/Division\*..... of the State/Union Territory \*.....  
belongs to ..... the caste/tribe\* which is recognized as Scheduled  
Caste/Scheduled Tribe\* under:—

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951@.

The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganization Act, 1960; the Punjab Reorganization Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; and the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganization) Act, 1987.]

The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956@.

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976@.

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@.

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@.

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@.

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967@.

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@.

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@.

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@.

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@.

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@.

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@.

the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990@.

the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991@.

the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991@.

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002@.

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.@

the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002.@

The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.@

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate\* issued to Shri/Shrimati\* ..... father/mother of Shri/Shrimati/Kumari\* ..... of village/town\* ..... in District/Division\* ..... of the State/Union Territory\* ..... who belongs to the ..... caste/tribe\*which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* in the State/Union Territory..... issued by the ..... dated .....

%3.Shri/Shrimati/Kumari\* ..... and /or\* his/her\* family ordinarily reside(s) in village/town\* ..... of District/Division\* ..... of the State/Union Territory\*of.....

Signature.....

\*\*Designation.....

(With Seal of Office)

Place:.....

State/Union Territory \* .....

Date:.....

\*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential order.

%Delete the paragraph which is not applicable.

**NOTE:** The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.(not below the rank of 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

**(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\* ..... son/daughter\* of Shri ..... of village/town\* ..... in District/Division\* ..... of the State/Union Territory\* ..... belongs to the ..... community which is recognized as a backward class under:—

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 186 dated the 13th September, 1993.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19.10.94, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.163 dated 20.10.1994.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.88 dated 25.5.1995.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 60 dated 11th March, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated 11th December, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-I, No.239 dated the 17th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 236 dated the 12th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.241 dated the 27th October, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.

12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.270 dated the 6<sup>th</sup> December, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.71 dated the 4th April, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 246 dated the 6th September, 2001.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 151 dated 20th June, 2003.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No.9 dated 13th January, 2004.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 10 dated 16th January, 2006.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 67 dated 12th March, 2007.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 18<sup>th</sup> August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.232 dated the 18<sup>th</sup> August, 2010.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 11<sup>th</sup> October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12<sup>th</sup> October, 2010.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated the 16<sup>th</sup> June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16<sup>th</sup> June, 2011.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/13/2010-BC-II dated the 08<sup>th</sup> December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.257 dated the 08<sup>th</sup> December, 2011.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 17<sup>th</sup> February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17<sup>th</sup> February, 2014.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14<sup>th</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14<sup>th</sup> January, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27<sup>th</sup> May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27<sup>th</sup> May, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14<sup>th</sup> July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15<sup>th</sup> July, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09<sup>th</sup> September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09<sup>th</sup> September, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25<sup>th</sup> May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26<sup>th</sup> May, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15<sup>th</sup> June, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30<sup>th</sup> June, 2016.



@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11<sup>th</sup> August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11<sup>th</sup> August, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06<sup>th</sup> December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07<sup>th</sup> December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22<sup>nd</sup> December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22<sup>nd</sup> December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18<sup>th</sup> January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19<sup>th</sup> January, 2017.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/7/2017-BC-II dated the 28<sup>th</sup> July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 31<sup>st</sup> July, 2017.

Shri/Shrimati/Kumari\*..... and/ or\* his/her\* family ordinarily reside(s) in village/town\*..... of District/Division\* of the ..... State/Union Territory\* of ..... This is also to certify that he/she\* does not belong to the persons/sections\* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993, O.M. No.36033/3/2004-Estt. (res.) dated 9th March, 2004 and dated 14-10-2008 and O.M. No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27<sup>th</sup> May, 2013.

Signature.....  
\* \*Designation.....  
(with seal of office)

Place.....

Date.....

\*Please delete the words which are not applicable.

**Note:** The term “ordinarily reside(s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

@Strikeout whichever is not applicable.

#### **FORMAT OF UNDERTAKING TO BE FURNISHED BY OBC CANDIDATES.**

##### **UNDERTAKING**

I, ..... son/daughter of Shri.....  
Resident of village/town/city ..... district ..... state  
..... hereby declare that I belong to the ..... community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT),dated 8.9.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum, dated 8.9.1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res), dated 9.3.2004, 8.9.1993 O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res), dated 14.10.2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27/05/2013.”

Signature.....  
Name of the Candidate.....  
Roll No.....

**Note:** Creamy layer clause in respect of OBC candidates must be as per OM No.36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27<sup>th</sup> May, 2013.

\*Please delete the words which are not applicable.

**Note:** The term “ordinarily reside(s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Strike out whichever is not applicable.

Note 1 : Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

**Note 2 :** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/ her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate

which should have been issued to him/her based on his/her father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

**Note 3:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Preliminary Examination will ordinarily be allowed by the Commission.

\*\*\*\*\*

**Note:** Creamy layer clause in respect of OBC candidates must be as per OM No. 36033/1/2013-Estt (Res) dated 27/05/2013 (This Note is not part of the undertaking or OBC Certificate).

**FORMAT OF UNDERTAKING TO BE FURNISHED BY EWS CANDIDATES**

**UNDERTAKING**

I ..... son/daughter of Shri ..... resident of Village/Town/City ..... District ..... State ..... hereby declare that I belong to the **ECONOMICALLY WEAKER SECTION** for the purpose of reservation in services under the Government of India as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36039/1/2019-Estt.(Res) dated 19.01.2019 and 31.01.2019. It is also declared that I have read and understood the instructions mentioned in the said O.Ms. and I have reason to declare that I come under the criteria of **ECONOMICALLY WEAKER SECTION**.

\*\*\*\*\*

**FORM- IV**

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

[See rule 17(1)]

- (1) Name : \_\_\_\_\_  
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : \_\_\_\_\_ Mother's Name: \_\_\_\_\_
- (3) Date of Birth : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Date) (Month)(Year)
- (4) Age at the time of application : \_\_\_\_\_ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender \_\_\_\_\_
- (6) Address:  
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- (c) Period since when residing at current address \_\_\_\_\_
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
  - (i) Post Graduate
  - (ii) Graduate
  - (iii) Diploma
  - (iv) Higher Secondary
  - (v) High School
  - (vi) Middle
  - (vii) Primary
  - (viii) Non-literate
- (8) Occupation \_\_\_\_\_
- (9) Identification marks (i) \_\_\_\_\_ (ii) \_\_\_\_\_
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year \_\_\_\_\_
- (12) (i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past \_\_\_ yes/no  
(ii) If yes, details:
  - (a) Authority to whom and district in which applied \_\_\_\_\_
  - (b) Result of application \_\_\_\_\_
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

\_\_\_\_\_  
(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/ her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :  
Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
  - (a) ration card,
  - (b) voter identity card,
  - (c) driving license,
  - (d) bank passbook,
  - (e) PAN card,
  - (f) passport,
  - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
  - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,
- (i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.
2. Two recent passport size photographs

-----  
(For office use only)

Date:  
Place:

Signature of issuing authority  
Stamp

**FORM-V**

**Certificate of Disability**

**(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)**

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.
---

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_

(C) he/she has \_\_\_\_\_ % (in figure) \_\_\_\_\_ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (part of body) as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

## FORM-VI

Certificate of Disability  
(In cases of multiple disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : - ----- percent

In words :- ----- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

# e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

## FORM-VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

(See rule 18(1))

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_ \_\_ Age \_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of \_\_\_\_\_ disability. His/her extent of percentage physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		

8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after \_\_\_\_\_ years \_\_\_\_\_ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

# - eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)  
(Name and Seal)

Signature/thu  
mb impression  
of the person in  
whose favour  
certificate of  
disability is  
issued

Countersigned  
{Countersignature and seal of the  
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/  
Head of Government Hospital, in case the  
Certificate is issued by a medical authority who is  
not a Government servant (with seal)}

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

### FORM-VIII

[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability]

[See rule 18 (4)]

No. \_\_\_\_\_

Dated :

To,

(Name and address of applicant  
for Certificate of Disability)

Sub: Rejection of Application for Certificate of Disability

Sir/ Madam,

Please refer to your application dated \_\_\_\_\_ for issue of a Certificate of Disability for the following disability:

2. Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/Medical Authority on \_\_\_\_\_, and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a Certificate of Disability in your favour:

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. In case you are aggrieved by the rejection of your application, you may represent to \_\_\_\_\_, requesting for review of this decision.

Yours faithfully,  
(Authorised Signatory of the notified Medical Authority)  
(Name and Seal)

**UNDERTAKING "A" (for Government Employees)**

I have intimated my Head of Office / Department in writing on \_\_\_\_\_ that I have applied for the Indian Forest Service Examination, 2020.

(Signature)  
Name: \_\_\_\_\_  
Roll No. \_\_\_\_\_

NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

\*\*\*\*\*

Government of.....  
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY  
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No.....

Date:.....

VALID FOR THE YEAR 2019-20

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ..... son/daughter/ wife of ..... permanent resident of ..... Village/ Street ..... Post Office, ..... District ..... in the State/ Union Territory..... Pin Code.....whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her family\*\* is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year 2018-19. His/her family does not own or possess any of the following assets\*\*\* :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
  - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
  - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
  - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari ..... belongs to the ..... caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Recent Passport Size attested photograph of the applicant
---

Signature with seal of Office.....  
Name.....  
Designation.....

\*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

\*\*Note 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note 3: The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.